न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 04/2021
रजि. संख्या : 2021/61

प्रार्थीपक्ष :–		अप्रार्थी :–
श्री कमलाशंकर पिता श्री हुरजी, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत काकनवानी, भाग द्वितीय, तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा	बनाम	राजस्थान राज्य द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा

उपस्थित

श्री रवि पुरी — प्रवर्तन अधिकारी,

–अभिभाषक (अपीलार्थी) — –विभागीय प्रतिनिधि

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम आदेश 1976) विरूद्ध निर्णय दिनांक 25–10–2017, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ प्रकरण संख्या 49/2015

निर्णय

दिनांक :– 15–06–2022

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी डीलर श्री कमलाशंकर/हुरजी उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत काकनवानी भाग द्वितिय तहसील कुशलगढ़ की उचित मुल्य दुकान का निरीक्षण प्रवर्तन अधिकारी बांसवाडा द्वारा दिनांक 10.03.2015 को किया गया। जिसमें अनियमितता पाये जाने पर रिपोर्ट अनुसार डीलर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 1252/2003 दिनांक 12.03.2005 को निलम्बित कर नोटिस जारी किया गया। जिसका जवाब अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.07.2015 को प्रस्तुत किया गया। दिनांक 25–10–2017 को अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र क्रमांक 1252/2003 निरस्त करते हुए प्रतिभूति की राशि रूपया 1000/– जब्त करने के आदेश किये है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी ने अपील पेश करने में हुई विलम्ब को क्षमा हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:00:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट/ जिला रसद अधिकारी, ...डा, को सम्मन जारी किया गया।

रेस्पोण्डेंट/ जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि, अपीलार्थी डीलर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच में उपभोक्ताओं को राशन नहीं देना पाया गया। उपभोक्ताओं द्वारा 01 माह का राशन का 02 माह के राशन का इन्द्राज करना बताया गया। राशनकार्डों में अनियमित ढंग से राशन सामग्री का इन्द्राज करना पाया गया। निर्धारित समय में दुकान नहीं खोलने, तौल में सामग्री कम देने एवं झूठा इन्द्राज करना पाया गया। डीलर द्वारा एक ही गोदाम से समस्त गांवो के उपभोक्ताओं को वितरण करना अनियमितता नहीं है। परन्तु डीलर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच में उपभोक्ताओं को राशन नहीं देना पाया गया। डीलर द्वारा राशन वितरण में गम्भीर अनियमितताऐं की जाकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 9, 11, 14, 15 का उल्लंघन किया गया है। अतः अपील स्वीकार करने योग्य नहीं है।

दिनांक 12.04.2022 को उभय पक्षीय बहस सुनी गई। दिनांक 31.05.2022 को उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत बहस पुनः सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि (प्रवर्तन अधिकारी) ने कथन किया कि जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा के निर्णय दिनांक 25.10.2017 के पश्चात् उक्त अपील दिनांक 08.12.2021 को प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार लगभग चार वर्षो से अधिक समय हो जाने के पश्चात् यह अपील प्रस्तुत की गई जो अवधि पार हो चुकी है। डीलर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच में उपभोक्ताओं को राशन नहीं देना पाया गया। अपीलार्थी डीलर द्वारा राशन वितरण में गम्भीर अनियमिताऐं की जाकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 9, 11, 14, 15 का उल्लंघन किया गया है। अपीलार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत ही दिनांक 25.10.2017 को अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र क्रमांक 1252/2003 निरस्त करते हुए प्रतिभूति की राशि रूपया 1000/– जब्त करने के आदेश किये है, जो विधि संगत है। अपील अपीलांट निरस्त करने का निवेदन किया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से बहस में कथन किया गया कि जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा के निर्णय 25.10.2017 [illegible] प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। देरी का कारण कालांतर में कोविड म[illegible]है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करे। अपीलार्थी [illegible] अनियमितता से आक्षेपित

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:00:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

है। अनियमितता संख्या एक के अनुसार अपीलार्थी अधिकृत उचित मुल्य दुकानदार है ग्राम धरतारा, बांसडी व सुलियामालपाडा के उपभोक्ताओं को रसद सामग्री उपलब्ध कराना अपीलार्थी का दायित्व है। यह तथ्य किसी भी प्रकार से अनियमितता की श्रेणी में नहीं आता है। अनियमितता संख्या दो के अनुसार वर्तमान में डीलर का कारोबार परिसर ग्राम धरतारा में है, जो ग्राम बांसडी से 3 किमी व ग्राम सुलियामालपाडा से 5 किमी की दुरी होने से उपभोक्ताओं की सुविधानुसार नहीं है। यह तथ्य भी किसी भी प्रकार से प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन होकर अनियमितता नहीं है। अपीलार्थी किसी एक जगह से ही अपना कार्य कर सकता है। Principle of Alibi लागु होता है। यदि अपीलार्थी किसी दुसरे गांव से कार्य करता है तो अन्य दो गांव के उपभोक्ताओं को दुरी लगेगी। यह अपीलार्थी के भाग की अनियमितता नहीं है। क्षैत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण ऐसा होता है। अनियमितता संख्या तीन के अनुसार मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं से पुछताछ में अपीलार्थी डीलर द्वारा 2 माह की सामग्री का इन्द्राज एक साथ किया जाना, निर्धारित समय में दुकान नहीं खोलना, वितरण कार्य अन्य व्यक्तियों द्वारा करने तथा सभी उपभोक्ताओं को सामग्री उपलब्ध नहीं करवाना बाबत बताया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जो कमियॉ बताई गयी है वह असत्य है। राशन वितरक के रूप में अपीलार्थी ने किसी प्रकार की कोई अनियमितताए नहीं की है। साक्षीयों के बयान नहीं लिये गये है। जिससे यह स्पष्ट है कि, अपीलार्थी द्वारा कोई अनियमितता नहीं की है और राशन वितरण के अन्दर कोई गडबडियॉ नहीं की गई है। रेस्पोडेंट द्वारा नक्शा मौका नहीं देखा गया और राजनैतिक प्रभाव की झुठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। अपीलार्थी के 12 वर्ष के कार्यकाल को अनदेखा कर तथा ग्राम वासियान के भावनाओं के विपरित अपीलार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है। जिस कारण रेस्पोडेंट का उक्त निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा का उक्त निर्णय दिनांक 25.10.2017 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 1252/2003 को पुनः बहाल किया जावे तथा प्रतिभूति राशी रूपया 1000/– दिलाया जावे।

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:00:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

...ने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का ...न किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है ...दिनांक 04–09–2015 के पश्चात् पत्रावली में पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिवत सुनवाई नहीं ...गई है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के तहत अप्रार्थी को समुचित अवसर प्रदान किया जाना ...आवश्यक है। जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी को अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई करे।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–10–2017 को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय देते हुए जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा को नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावे। अपीलार्थी दिनांक 04–07–2022 न्यायालय जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा में उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 15–06–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:00:45 IST
Reason: SelfAttested